

C.F. No. 51

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म० प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 144 निगरानी

रामेश्वर पुत्र महादेव ब्राह्मण, निगरानी
ग्राम पानपुर, तहसील मन्दसौर, जिला
मन्दसौर, म० प्र० -- प्रार्थी
विरुद्ध

1. बगदीराम पुत्र रामाजी कुम्हार

16/11/06 EXP 2। मोरसिंह पुत्र सेमराज राजपूत

EXP 3। कमलसिंह पुत्र जयाम राजपूत

EXP 4। मान सिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत

EXP 5। नातूसिंह पिता मानसिंह राजपूत

EXP 6। रामसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत

निवासीगण ग्राम पानपुर, तहसील
व जिला मन्दसौर, म० प्र०

DAID 7। कशीरखां पुत्र सदरखां

DAID 8। राजू पिता नाथूजी

EXP 9। फकरू पुत्र मन्नाशाह

10। रमजानी पुत्र फकरशाह

EXP 11। फकरशाह पुत्र मन्नाशाह

सभी निवासीगण अनिया निजामुद्दीन
तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर, म० प्र०

12। मध्य प्रदेश शासन -- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश आबुक्त महोदय उज्जैन संभाग

दिनांक 26-8-44 अन्तर्गत धारा 110 म० प्र० मू राजस्व

संहिता 1944 । प्रकरण क्रमांक 202। 44-44 अगिल ।

R-1643-II/99


क्रमांक
श्री
अभिभाषक द्वारा अग दिनांक 30.9.99
को प्रस्तुत
30.9.99
जलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ध. प्र. ग्वालियर

30/9/99

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1643-एक/1999

जिला मन्दसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-11-2015	<p>उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में पेशी दिनांक 16-1-06 की आदेश पत्रिका पर अनावेदक क्रमांक 7 एवं 8 के फौत होने की टीप सहित नोटिस वापस प्राप्त होने से लेख है। आवेदक अभिभाषक को अनावेदक क्रमांक 7 एवं 8 के वारिसों की जानकारी पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात कुल 52 पेशीयां एवं 7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आवेदक अभिभाषक द्वारा मृत अनावेदकों के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण अवैट किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p></p> <p>(डॉ० मधु खरे) सदस्य</p>	